रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2000/वैशाख 27, 1922
No. 278] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2000/VAISAKHA 27, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2000

सा. का. नि. 464(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात्, विचार किया जाएगा,

किसी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी,

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में, मद क 18.12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क. 18.12.01—माल्ट-आधारित खाद्य, जिन्हें माल्ट युक्त खाद्य भी कहा जाता है, से बीजों (अनाजों और/या फलियों के दाने) के अंकुरण को नियंत्रित करके जिसमें मुख्यत: अवभंजन अंकुरण और भट्टी शुष्कन प्रसंस्करणन अन्तर्ग्रस्त है से अभिप्राप्त किसी किस्म के माल्ट (घोल या आटा या माल्ट निष्कर्ष) को अन्य अनाज और दाल के आटों के साथ मिलाकर तैयार किया गया उत्पाद अभिप्रेत है, चाहे इसमें पूर्ण दुग्ध या दुग्ध चूर्ण, सुरुचिकारक, मसाले, पायसी कारक, अंडे, अंडा चूर्ण, प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन जलांशनी, सामान्य खाद्य

नमक, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, खनिज, एमिनो अम्ल और विटामिन हो या न हो। इसमें मिलाई गई चीनी और/या कोका चूर्ण हो सकता है और इसे ऐसी रीति से प्रसंस्कृत किया जाएगा जिससे कि स्टार्च वाले पदार्थ का जलांशन अंशत: या पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके और संघटकों का शुष्कन या शुष्क मिलाकर चूर्ण या दाने या पापड़ी के रूप में सुनिश्चित किया जा सके। माल्ट को तैयार करने में प्रयुक्त अनाज, फलियां और उनके उत्पाद अदूषित, ग्रसनरहित और कीट अंशों, मूषक मल-मूत्र, फफूंदीग्रस्त अनाजों या किसी अन्य प्रकार की कीट या फफूंदी क्षति से मुक्त होंगे।

यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा, अर्थात् :—

(क) आद्रता	भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ख) कुल प्रोटीन (एन × 6.25) (शुष्क आधार पर)	भार में 7.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ग) कुल राख (शुष्क आधार पर)	भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं
(घ) अम्ल अविलेय राख (एच सी एल में)	भार में 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ङ) कुल प्लेट काउंट	प्रति ग्राम 50,000 से अधिक नहीं
(च) कोलीफार्म काउंट	एक ग्राम में 10 से अधिक नहीं
(छ) खमीर और फफुंदी काऊंट	एक ग्राम में 100 से अधिक नहीं
(ज) ई.कोली	10 ग्राम में लुप्त
(झ) सैल्मोनेला और शिगैला	25 ग्राम में लुप्त
(ञ) 90 प्रतिशत एल्कोहल के साथ (शुष्क भार आधार पर) एल्कोहल की अम्लता (H_2SO_4 के रूप में अभिव्यक्त)	0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं

[सं० पी-15014/13/99-पीएच(खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले दिनांक 12-9-1955, का०नि०आ० 2105 के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार सा०का०नि० 694(अ) दिनांक 11-10-99 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2000

G.S.R. 464(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules,1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section (1) for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955; in Appendix 'B', after item A. 18.12 the following shall be inserted, namely :—

"A. 18.12.01—Malt—based Foods also called malted food means the products obtained by mixing malt (wort

or flour or malt extract) of any kind obtained by controlled germination of seeds (Cereals and/or grain legumes), involving mainly steeping germination and kiln drying processes with other cereal and legume flours with or without whole milk or milk powder, flavouring agents, spices, emulsifying agents, eggs, egg powder, protein isolates, protein hydrolysates, edible common salt, sodium or potassium bicarbonate, minerals, amino acids and vitamins. It may contain added sugar and/or cocoa powder and processed in such a manner to secure partial or complete hydrolysis of starchy material in the from of powder or granules or flakes by drying or by dry mixing of the ingredients. The grains, legumes and their products used in preparation of malt shall be sound uninfested and free from insect fragments, rat excreta, fungal infested grains or any other type of insect or fungal damage. It shall also conform to the following standards, namely :—

(a) Moisture	Not more than 5 per cent by weight
(b) Total Protein (Nx 6.25) (On dry basis)	Not less than 7.0 per cent by weight
(c) Total ash (On dry basis)	Not more than 5 per cent by weight
(d) Acid insoluble ash (in dilute HCl)	Not more than 0.1 per cent by weight
(e) Total plate count	Not more than 50,000 per gram.
(f) Coliform count	Not more than 10 per gram.
(g) Yeast and Mould count	Not more than 100 per gram.
(h) E. Coli	Absent in 10 gram.
(i) Salmonella and Shingella	Absent in 25 gram.
(j) Alchoholic Acidity (expressed as H_2SO_4) with 90 per cent alcohol (on dry weight basis)	Not more than 0.30 per cent

[No. P-15014/13/99-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide S R O 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide G S R No. 694(E) dated 11-10-99.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.